



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08012026-269179
CG-TL-E-08012026-269179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 86]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 96(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 19 अगस्त, 2025 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ.3791(ई), दिनांक 01 अगस्त, 2025 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “येपेंडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.)” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, “साक्षी (तेलुगु)” और “द न्यू इंडिया एक्सप्रेस (अंग्रेजी)” में 23 अगस्त, 2025 को के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर-III, निर्माण संगठन, सिकंदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि वैधानिक समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है.

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना, येपेंडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.) हेतु किसी संरचना सहित या उसके रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना येपेंडु – पूडि स्टेशनों के बीच बाइपास लाइन (25.36 किमी.).

गांव : कोवाका				मंडल : येपेंडु				जिला : तिरुपति		
क्र. सं.	उप विभाग सहित सर्वेक्षण सं.	कुल क्षेत्र एकड़ सेंट	अधिग्रहण का क्षेत्र एकड़ सेंट	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/सरकारी भूमि का विवरण	सीमाएं				पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्तियाँ (सरकारी/पट्टा भूमि/डीकेटी)
					पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण		
1	330/12ए (वेबलैंड सर्वेक्षण सं. 330/12ए और 330/12डी के अनुसार)	2.12	0.03	1.एम.कृष्ण य्या सुपुत्र चिन्नादोरास्वामी,	330/2बी	331/2	331/2	330/15ए	-	जीडी
			0.01	2.एम.राममूर्ति सुपुत्र नारायण						
2	330/15ए (वेबलैंड 15ए के अनुसार)	0.81	0.14	1.एम.मुना स्वामी सुपुत्र चिन्नादोरास्वामी	330/5बी	330/2	330/2ए	330/16ए	-	जीडी
3	330/16ए (वेबलैंड 330/16सी1 के अनुसार)	1.2	0.30	मुनगाला सरोजम्मा पत्नी रामानादम	330/15 बी	331/2	330/15 ए	331/2	गुर्रप्पा स्वामी का मंदिर, 03 नारियल के पेड़, 4 आम के पेड़	जीडी
			0.06	एम.रमनाधम सुपुत्र सुब्बय्या						
4	330/17ए (वेबलैंड 330/17 के अनुसार)	0.11	0.01	1.एम.कृष्ण य्या सुपुत्र चिन्नादोरास्वामी,	330/17 बी	331/2	330/16 ए	330/23ए	-	जीडी

5	330/23A (वेबलैंड 330/23 के अनुसार)	0.24	0.01	1.एम.कृष्ण य्या सुपुत्र चिन्नादोरास्वा मी,	330/23 बी	331/ 2	330/17 ए	340	-	जीडी
6	331/2 (वेबलैंड सर्वेक्षण सं. 331/1ए1/1ए, 331/1ए1/2, 331/1सी, 331/1एच1/1ए , 331/1जी, 331/1सी 331/ई2 के अनुसार)	8.06	2.16	1.के.सुपर्णा सुपुत्री के. आनंद रेड्डी, 2. के. सुब्बाम्मा पत्नी गुरवा रेड्डी, 3.एम.वनजा पत्नी गोपाल, 4.मद्दूरु सिद्दय्या (श्री रामुलु) 5. के.पद्मम्मा पत्नी राजरेड्डी, 6. कंधटि रजिता (पद्मम्मा) 7.मुद्दूरु मुनिकुमारी (मुद्दूरु रामदासु) 8. आर मुनिरामय्या सुपुत्र कृष्णा रेड्डी, 9.ए.मुनिरेड्डी सुपुत्र कृष्णा रेड्डी,	331/3	331/ 1	335	340	2 आम के पेड़	जीडी
7	335/2	2.08	0.72	नहर	335/3	335/ 1	बी. सं. 32 माधव माला	331/1,2, 3	-	जीपी
8	340/2	152.0 0	3.96	स्वर्णमुखी नदी	340/3	340/ 1	331/2	बी. सं. 37, एम.डी. पुत्तूर	-	जीपी
कुल क्षेत्र		एकड़ 7.40 सेंट								

[फा. सं. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20E/301225]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

NOTIFICATION

Secunderabad, the 31st December, 2025

S.O. 96(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3791 (E) dated the 1st August 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 19th August 2025 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Bypass line between Yerpedu–Pudi stations (25.36Km.)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Sakshi(Telugu), and The New India Express (English)” on 23rd August 2025 by K.Suryanaryana, Chief Engineer-III, Construction Organization Secunderabad under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections have been filed within the statutory time limit.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km) in the state of Andhra Pradesh.

Description of Land in Acquisition:	Special Railway Project, Bypass line between Yerpedu– Pudi stations (25.36 Km) for passenger and freight facility.
--	--

Village: Kobaka				Mandal: Yerpedu			District: Tirupati			
Sl. No.	Survey No. with sub division	Total Extent Ac Ce	Extent Under Acquisition Ac Ce	Name and address of the person interested/Details of Govt.	Boundaries				Details of trees , Structures etc. if any	Remarks (Govt./Patta/DKT)
					East	West	North	South		
1	330/12A (As per webland Sy.no 330/12A and 330/12D)	2.12	0.03	1.M.Krishnaiah S/O Chinnadoraswami,	330/2B	331/2	331/2	330/15A	-	GD
			0.01	2.M.Raamurthy S/O Narayana						

2	330/15A (As per webland 15A)	0.81	0.14	1.M.Munaswami S/O Chinnnadoraswami	330/5B	330/2	330/2A	330/16A	-	GD
3	330/16A (as per Webland 330/16C1)	1.2	0.30	Munagala Sarojamma W/O Raamanaadham	330/15B	331/2	330/15A	331/2	Gurrappa Swamy temple, 03 Coconut Trees, 4 Mango Trees	GD
			0.06	M.Ramanaadham S/o Subaiah						
4	330/17A (As per Webland 330/17)	0.11	0.01	M.Munaswami S/O Chinnnadoraswami	330/17B	331/2	330/16A	330/23A	-	GD
5	330/23A (As per webland 330/23)	0.24	0.01	M.Munaswami S/O Chinnnadoraswami	330/23B	331/2	330/17A	340	-	GD
6	331/2 (As per webland Sy.no 331/1A1/1A, 331/1A1/2, 331/1C, 331/1H1/1A, 331/1G,331/1C 331/E2)	8.06	2.16	1.K.Suparna D/O K. Aanandh Reddy, 2.K.Subbamma W/O Guravaa reddy, 3.M.Vanaja W/O Gopaal, 4.Madduru Sidhaiah (Sree Ramulu) 5.K.Padhmamma W/O Raajareddy, 6.Kandhati Rajitha (Padmamma) 7.Mudduru Munikumari (Mudduru Ramadasu) 8.R.Muniraamayya S/O Krishnaa reddy, 9.A.Munireddy S/O Krishna reddy,	331/3	331/1	335	340	2 Mango Trees	GD
7	335/2	2.08	0.72	Canal	335/3	335/1	V.No 32 Madavamala	331/1,2,3	-	GP

8	340/2	152.00	3.96	Swarnamuki River	340/3	340/1	331/2	V.No 37, M.D. Puttur	-	GP
Total Extent		Ac 7.40 Ce								

[F. No. W.Con.182/SRP-19/PUDI-YPD/24-25/271/20E/301225]
K. SURYANARAYANA, Chief Engineer / Construction-III

\